गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उनके निवास पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

- 'विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम्स उठाएं प्रभावी कदम'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत् मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही, डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम्स) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करें, जहां गत वर्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं थी। टीएण्डडी और एटीएण्डसी लॉसेज को न्यूनतम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मेंटेनेंस पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ए तथा सी कम्पोनेन्ट्स मील का पत्थर साबित होंगे। इन कम्पोनेंट में अपेक्षित गति लायी जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण में आरडीएसएस योजना की अहम भूमिका है। इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति से घरेलू एवं अघरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और उन्हें ट्रिपिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स इस योजना की प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें। जो कॉन्ट्रेक्टर्स योजना के कार्यों को संपादित करने में अनावश्यक देरी कर रहे हैं, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को सोलर प्लांट लगाते हुए नि:शुल्क 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराएगी। जिन अल्प आय वर्ग के घरों पर सोलर प्लांट का स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना की त्वरित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शर्मा ने डिस्कॉम्स को लंबित घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शन शीघ्र जारी करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लंबित कृषि कनेक्शन्स को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। डिस्कॉम्स के अधिकारी प्रतिदिन कृषि कनेक्शन जारी करने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेंजे। मुख्यमंत्री ने पीएचईडी कनेक्शनों को जारी करने की स्थिति, 33 और 11 केवी जीएसएस के निर्माण और खराब ट्रांसफार्मर के रिप्लेसमेंट की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक में ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, डिस्कॉम्स चैयरमेन आरती डोगरा, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल, जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल, अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा उपस्थित रहे।

जेलों की सुरक्षा को लेकर बदलाव

जेल से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को धमकियां मिलने के बाद बदलीं व्यवस्थाएं

- सुरक्षा और चेकिंग के लिए तैनात आरएसी टीम को जेल से बाहर किया

जयपुर। राजस्थान की सेंट्रल जेल से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को धमकियां मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक जेल के निर्देश के बाद सभी जेलों की सुरक्षा को लेकर बदलाव किया गया है। जेल की सुरक्षा और चेकिंग के लिए तैनात आरएसी टीम को जेल से बाहर कर दिया है। अब आरएसी टीम केवल जेल के मेन गेट पर ही तैनात रहेगी।

गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बीकानेर सेंट्रल जेल और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जयपुर सेंट्रल जेल से धमकी मिली थी। इसके बाद डीजी जेल गोविंद गुप्ता की ओर से मामले की जांच की तो सामने आया कि आरएसी की टीम जेल प्रहरियों के साथ मिलकर कैदियों की भी जांच करती है। ऐसे में कैदी, जेल प्रहरी और आरएसी टीम में तैनात जवान मिलकर अंदर तक सामान पहुंचा रहे है। इसके बाद डीजी ने आदेश जारी कर मैन गेट के अलावा जेल में बैरिकेड तक तैनात आरएसी की टीम को हटाने के लिए कहा है।

पुलिस महानिदेशक जेल गोविंद गुप्ता ने बताया कि जो नियमों में है वह कर रहे है। जो नियमों में नहीं है और वह जेल में हो रहा है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने बताया कि जेल में सालों दशकों से जेल प्रहरी और आरएसी की टीम ही जेल में जाने वाले सामान,कैदी की जांच किया करते थे। लेकिन अब केवल जेल विभाग के प्रहरी ही जेल में जांच का काम करेंगे।

यहां वह जेल के लिए आने वाले सामान की जांच करेगी। कैदी की जांच नहीं करेगी। लेकिन उनका सामान जरूर चेक करेगी। जांच करने वाली आरएसी की टीम के लिए जेल के मेन गेट पर गुमटी लगा दी जाएगी। जो केवल आरएसी जवानों के लिए होगी।

देवनानी से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने की मुलाकात

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया।

- दोनों विधान सभाओं की संसदीय परंपराओं और व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा
- विधान सभा सदन और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को बताया उत्कृष्ट

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को प्रात: यहां विधान सभा में मुलाकात की। देवनानी ने नार्वेकर का पुष्प गुच्छ भेंट कर, दुपट्टा पहना कर अभिनंदन किया। देवनानी ने श्री नार्वेकर को राजस्थान विधान सभा में नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक की प्रति भेंट की।

देवनानी ने नार्वेकर को हिंदू विजय प्रवर्तक पुस्तक की प्रति और राजस्थान विधान सभा का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष नार्वेकर को विधान सभा का सदन और सदन में की गई ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ही राजस्थान विधान सभा स्थित म्यूजियम का अवलोकन कराया। देवनानी ने बताया की नेवा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान विधान सभा के सदन को डिजिटल किया गया है साथ ही सदन को नये कलेवर में तैयार कराया गया है। नार्वेकर ने देवनानी का आभार जताते हुए कहा कि सदन को डिजिटल कराया जाना सराहनीय पहल है।

लापता नाबालिगों की बरामदगी के लिए क्या है नीति : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरी के लापता होने के एक माह तक पुलिस की ओर से किसी तरह का अनुसंधान नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पुलिस महानिदेशक को 7 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने डीजीपी से पूछा है कि लापता हुए नाबालिगों की बरामदगी के लिए पुलिस की क्या नीति है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश देवलाल गुर्जर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में डीसीपी पूर्व तेजस्विनी गौतम अदालत में पेश हुई। उनकी ओर से प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर मामले में की जा रही पुलिस की जांच से अदालत को अवगत कराया गया। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किशोरी गत 5 फरवरी से लापता है और पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यहां तक की पुलिस ने मामले में आरोपी बनाए गए युवक के परिजनों के बयान भी हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी करने के बाद लिए। पूर्व में भी अन्य मामलों में पुलिस की ऐसी कार्यप्रणाली सामने आ चुकी है। ऐसे में डीजीपी अदालत में पेश होकर इस संबंध में जानकारी दे।

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 74.17 लाख की ठगी करने वाले को महाराष्ट्र से पकड़ा

साइबर थाना पुलिस ने 74 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी के मामले का खुलासा कर एक आरोपी को महाराष्ट्र से पकड़ा है।

- शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों को लेता था झांसे में
- इन्वेस्टमेंट के नाम पर 50 बैंक खातों में जमा करवाए रुपए

जयपुर। साइबर थाना पुलिस ने 74 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी के मामले का खुलासा कर एक आरोपी को महाराष्ट्र से पकड़ा है। आरोपी को जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वह लोगों को वाट्सएप पर मैसेज भेजकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देता और अलग-अलग बैंक खातों में रुपए जमा करवाकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। वारदात के लिए शातिर अपराधी अलग-अलग मोबाइल सिम का इस्तेमाल करता था।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुंदन कंवरिया ने बताया कि 74.17 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में आरोपी तुषार वासुदेव पुस्तके निवासी दहिवडी तालुका मान जिला सातारा (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार किया गया है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 40-50 बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर करवाए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के द्वारा ऑनलाइन शेयर मार्केट मे इन्वेस्ट के नाम पर लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी के लिए पहले एक फर्जी व्हाटसएप नम्बर पर सम्पर्क किया जाकर अपने व्हाटसएप ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने के लिये जोड़ा जाता है। फिर फर्जी लुभावने विज्ञापनों के बार में जानकरी देते है। जिसमें मोटे मुनाफे का लालच दिखाया जाता। उसके बाद एक वेब पेज का लिंक भेजकर रजिस्टेशन करवा कर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करवाकर धोखाधडी की जाती है। बदमाश धोखाधड़ की राशि अलग-अलग बैंक खातों में डिपोजित करवाते थे। डिपोजित राशि का लेन देन वेब पेज पर दर्शाते है। शुरूआत में पीड़ित से छोटे-छोटे अमाउण्ट इन्वेस्ट करवाते है और उसका फर्जी मुनाफा उसके मोबाईल पर वेब पेज पर दर्शा कर पीडित का विश्वास जीत लिया जाता था। इसके बाद खाते में मोटा अमाउण्ट इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता और उसके पेज पर अधिक मुनाफा दिखाकर जाता। इसके बाद विभिन्न प्रकार के टैक्स (इन्कम टैक्स, सर्विस टैक्स, मेम्बर एवं वीआईपी चार्जेज) लगा कर विड्रो करने से पीडित को रोकते और जब पीड़ित व्यक्ति अपनी राशि निकालने के लिए दबाव डालता है तो मोबाइल बन्द कर लेते है या ग्रुप से हटा देते है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) ने बताया कि परिवादी ने 15 जनवरी को साइबर ठगी का मामला साइबर अपराध थाने में दर्ज करवाया था कि शेयर मार्केट में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर उससे अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर 74.17 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने तकनीकी रूप से अनुसंधान किया तो सामने आया कि शातिर आरोपी के अलग-अलग खातों में 23 लाख रुपए से अधिक राशि का ट्रांजेक्शन किया गया। मोबाइल नंबर की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी महाराष्ट्र के सतारा जिले का निवासी है। जांच पड़ताल में आरोपी का जो पता मिला, पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी नहीं मिला। इसके बाद मुखबिरों से जानकारी जुटाकर आरोपी तुषार वासुदेव पुस्तके को हिरासत में लिया और उसे जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में साइबर ठगी की कई और वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

एएजी पद पर सांदू की नियुक्ति को लेकर लिया स्वप्रेरित प्रसंज्ञान निस्तारित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्णपीठ की सहमति के बाद भी आपराधिक मामलों में पैरवी के लिए राजकीय अधिवक्ता कम एएजी पद पर ब्रह्मानंद सांदू की नियुक्ति नहीं करने से जुडे मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को निस्तारित कर दिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में एकलपीठ की ओर से लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने माना कि यह जनहित का मामला नहीं है और ऐसे में इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है। अदालत ने अधिवक्ता सांदू को छूट दी है कि वे चाहे तो इस संबंध में अलग से सर्विस रिट पेश कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में प्रमुख विधि सचिव रिकॉर्ड सहित पेश हुए। वहीं अदालत ने अधिवक्ता सांदू से पूछा कि इस मामले में उनका क्या कहना है। सांदू ने कहा कि मार्च 2024 में उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और तब उन्हें पता चला था कि राज्य सरकार ने उनका नाम जयपुर पीठ में जीए-एएजी पद के लिए तय किया है। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से भी माना कि उनके नाम की सहमति दी गई थी।

किराएदार युवक की हत्या करने वाले को उम्रकैद

जयपुर। एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक के चलते किराएदार युवक की गला घोंटकर हत्या करने वाले मकान मालिक दिनेश प्रजापत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मोहन लाल जाट ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि राजीव मीणा अभियुक्त के मकान में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना के दिन 8 जून, 2020 को मृतक के परिचित रघुवीर सिंह को घटना की जानकारी मिली। जब वह मौके पर पहुंचा तो मृतक राजीव का शव घर के बाहर चबूतरे पर रखा था और उसके गले में रस्सी का निशान था। पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि राजीव ने अपने कमरे में उसकी पत्नी की साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी।

कांग्रेस के नेताओं में बयान देने की होड़ : खर्रा

जयपुर। नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस परिसीमन और लोकतंत्र की बात करती है। कांग्रेस को परिसीमन से दिक्कत नहीं है, इन्हें सुशासन, सुधारों तथा एक प्रदेश-एक चुनाव से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहे परिसीमन को कांग्रेस बेवजह राजनीति से जोड़ रही है।

खर्रा ने कहा कि परिक्षेत्र के हर मतदाता और हर नागरिक को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। वार्डों के पुनर्सीमांकन के मामले में उस नगरपालिका क्षेत्र का कोई भी मतदाता कोई भी नागरिक आपत्ति लगा सकता है, यह उनका अधिकार है। साथ ही, राजनैतिक दलों को भी अधिकार है कि उनकों किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो, आपत्ति लगानी चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष अनावश्यक राजनीति कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष इस मामले को पहले ही उठा चुके हैं। उसी होड में दुसरे नेता भी इस मुद्दे को लेकर अपना बयान जारी कर रहे हैं।

उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक प्रक्रियागत कार्य है।

सहायक आचार्य भर्ती-2024 के साक्षात्कार पर रोक

जयपुर। हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती-2024 की चयन प्रक्रिया के दौरान चयन के नियमों में बदलाव करने पर राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हित में : मदन राठौड़

जयपुर। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में मीडिया बाइट के कहा कि वक्फ संशोधन बिल का देशभर में स्वागत हो रहा है। अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग इस संशोधन से खुश है, यह बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। इस बिल से किसी की भी हानि नहीं हो रही है। इस बिल संशोधन में यह प्रावधान भी किया गया है कि जो वक्फ की संपत्ति वर्तमान में उससे कोई छेडखानी नहीं की जाएगी। वक्फ बिल संशोधन वर्तमान समय की मांग है।

राठौड़ ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर कई लोगों ने कब्जे कर रखे है। वक्फ की संपत्ति अल्ला को दी गई है तो इसकी संपत्ति पर बाहुबली या मठाधीशों का कब्जा क्यों है। कुछ बाहुबली लोग इस संपत्ति का उपयोग करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे है, जबकि मुस्लिम समाज को इसका लाभ तक नहीं मिल रहा। वक्फ बिल संशोधन मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए इस धन का उपयोग किया जाएगा। जबकि अब तक बाहुबली ही इसका उपयोग कर रहे थे। राठौड़ ने बताया कि यह कैसा कानून है जो यह कहता है कि किसी भी संपत्ति को कह दो कि ये वक्फ की संपत्ति है और वो उसकी हो जाए, यह ठीक नहीं है।

प्रदेश में 5000 करोड़ की लागत से नेशनल हाइवे बनेंगे : दिया कुमारी

- राज्य योजना में सड़कों के लिए 17384 करोड़ का प्रावधान

जयुपर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगभग 5000 करोड़ की लागत की नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत नागौर नेत्रा सड़क के 4 लेन का कार्य , रायपुर जस्साखेड़ा, गंगापुर सिटी बाईपास, करौली बाईपास सहित विभिन्न सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जायेगा । इसके साथ ही दुर्घटना सम्भावित 13 ब्लैक स्पाट्स के सुधार का कार्य भी करवाया जायेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़करी का इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा है की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकास के नये प्रतिमान स्थापित कर रही है। गत वर्ष में राज्य योजना में सड़क, पुल/आरओबी/आरयूबी निर्माण हेतू 12620 करोड़ रूपये व्यय किये गए जो कि अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सड़क विकास के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 17384 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। गौरलतब है कि राज्य योजना में ग्रामीण सड़क, वृहद् जिला सड़क (एमडीआर), स्टेट हाईवे सहित विभिन्न निर्माण करवाये जाते ।

केंद्रीय सड़क आधारभूत निधि से प्रदेश में गत वर्ष में लगभग 1300 करोड़ की लागत की सड़कों का निर्माण करवाया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों एवं प्रभावी मॉनिटरिंग से सीआरआईएफ में पूर्व के वर्षों मे संचयी राशि में से राशि प्राप्त करते हुए अब तक की सर्वाधिक राशि गत वर्ष में खर्च की गई है।

भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों पर : नरेंद्र हर्ष

जयपुर। भाजपा से जुड़े उद्यमी एवं विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र कुमार हर्ष ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आत्मीय भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सरल, संवेदनशील और विकासपरक नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हर्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। हर्ष ने मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि वे जनसेवा को समर्पित हैं और हर तबके के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वह गरीबों के उत्थान की बात हो, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की योजना हो, बेटियों की सुरक्षा का विषय हो या आधारभूत संरचना के विकास की बात हो-हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री का संवेदनशील नेतृत्व झलकता है। हर्ष ने सांगानेर क्षेत्र के विकास का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, नए सड़कों, फ्लाईओवर और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।

मौसमी बीमारियों से बचाव की पुख्ता तैयारियां हों : गजेंद्र सिंह खींवसर

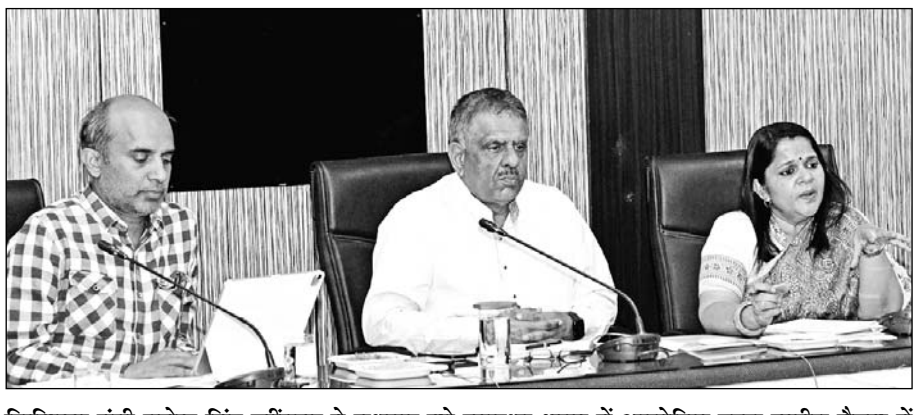

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बुधवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी गर्मियों में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा की।

- 'अलर्ट मोड में रहें अधिकारी, नियमित रूप से करें निरीक्षण'
- 'जांच, दवा व उपचार का हो माकूल प्रबंध'

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भी राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी एवं हीटवेव की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए सभी जिलों में अधिकारी अलर्ट मोड में रहते हुए जल्द से जल्द आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। किसी भी चिकित्सा संस्थान में जांच, दवा एवं उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी गर्मियों में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, राज्य स्तर से अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। साथ ही, संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक रूप से निरीक्षण करें ताकि चिकित्सा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें।

खींवसर ने सभी जिलों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जहां भी डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। स्थानीय स्तर पर नियमानुसार संविदा आधार पर चिकित्सक या अन्य चिकित्साकर्मियों की सेवाएं ली जाएं। उन्होंने गुरूवार दोपहर तक सभी जिलों से चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की स्थिति की विस्तृत जानकारी भिजवाने के निर्देश दिए।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि किसी भी चिकित्सा संस्थान में पंखे, कूलर, एसी आदि की कमी की शिकायत नहीं आए। समय रहते जरूरी संसाधनों की खरीद एवं मेंटीनेंस सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए तात्कालिक आवश्यकतानुसार आरएमआरएस में उपलब्ध राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाए। साथ ही, दानदाताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से भी सहयोग लिया जा सकता है। श्री खींवसर ने कहा कि जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर उनका सुचारू संचालन किया जाए। सभी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाएं पुख्ता हों। एम्बुलेंस की क्रियाशीलता एवं उसमें सभी जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए।